न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०-2,गाजियाबाद।
पीठासीन अधिकारी-हीरा लाल III (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. I.D. No-U.P.05991

सत्र परीक्षण संख्या -1385/2023
सरकार बनाम चेतेन्द्रपाल,
धारा 304B भा०दं०सं,
थाना हापुड देहात, तत्कालीन जिला गाजियाबाद।

18.05.2024

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 117 ख/1 एवं 121 ख के निस्तारण हेतु पेश हुई। जिस पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 121 ख

1- प्रार्थना पत्र 121 ख अभियोजन की ओर से प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है, जिसे माननीय न्यायालय साबित कराने व एक अतिरिक्त 313 दं०प्र०सं० बनवाने में उचित आदेश पारित करे। पत्रावली अधिकतम प्राचीन है। याचना की की गयी न्यायहित में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को साबित कराने के उचित आदेश पारित कराने कृपा करें।

2- जिस पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति का उल्लेख किया गया है और लिखित में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं है। हालाँकि प्रश्नगत पत्रावली में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित 8-11-2001 संलग्न पत्रावली है, जिस पर नॉट एडमिटेड का उल्लेख अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंकित किया गया है।

3- जहाँ तक प्रश्नगत प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध हैं, हालाँकि अभियोजन द्वारा यह विधितः धारा 293 दं०प्र०सं० के तहत पढे जाने का कथन करते हुए धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत अतिरिक्त बयान धारा 313 दं०प्र०सं० मुल्जिमान बनाये जाने का कथन किया गया है। जिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट की औपचारिकता को अभियुक्त की तरफ से अस्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में विधित प्रश्नगत कागजात को साबित किया जाना प्रश्नगत वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित है। अतः सम्बन्धित विशेषज्ञ को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को साबित करने हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 121 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 121 ख इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को साबित करने हेतु अभियोजन सम्बन्धित विशेषज्ञ को नियत तिथि पर तलब करे। तदनुसार पत्रावली दिनांक 25-05-2024 को सम्बन्धित को समन करने हेतु पेश हो।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 117 ख/1

1- प्रार्थना पत्र 117 ख/1 प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त की तरफ से यह कथन किया गया है कि इस मामले में एडवोकेट राजीव अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाक्टर अजय अग्रवाल एम०डी० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष फोरेंसिक मेडीसिन एस०एन० मेडिकल कॉलेज आगरा से मृतका के जसवन्त राय हॉस्पिटल मेरठ में हुए उपचार के कागजात तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद अपनी राय लिखित रूप में दिनांक 28-04-2005 को दी थी, जिसे साबित कराने के लिए अभियुक्त डाक्टर अजय अग्रवाल को सफाई साक्ष्य में पेश कराना चाहता है। सम्बन्धित पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। याचना की गयी कि डाक्टर अजय अग्रवाल एम०डी० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष फोरेंसिक मेडीसिन एस०एन० मेडिकल कॉलेज

आगरा (अब रिटायर्ड), हाल पता सी 33 लाजपतकुंज पुष्प विहार, नीयर सिविल लाईन आगरा को सफाई साक्ष्य में पेश करने हेतु समन जारी करने की कृपा करें।

2- जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति कागज संख्या 120 ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि उपरोक्त मामले में इलाहाबाद के एडवोकेट द्वारा जो डाक्टर की लिखित राय बेल के समय प्रस्तुत किया है, उसके लिए कोर्ट द्वारा कोई निर्देशित नहीं किया गया है, न ही डाक्टर चार्जशीट का कोई हिस्सा है और न ही कहीं डाक्टर साहव का उल्लेख है। जबकि 28-04-2005 की लिखित राय होईकोर्ट में बेल के समय प्रस्तुत की गयी है। उससे पूर्व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पत्रावली पर दर्ज की जा चुकी है और ऐसी स्थिति में लिखित राय केवल पोस्टमार्टम के लिए ली गयी है वो भी हाईकोर्ट के एडवोकेट के स्वयं के द्वारा दाखिल की गयी। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 117 ख/1 निरस्त होने योग्य है। सत्र परीक्षण लगभग 21 वर्ष पुराना है, ऐसी स्थिति में विलम्ब कारित हो रहा है। याचना की गयी कि प्रार्थना पत्र 117 ख/1 को निरस्त करने का उचित आदेश पारित करते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित करने की अनुमति प्रदान करें।

3- सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4- पत्रावली के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के बयान अंकित होने के पश्चात सफाई साक्ष्य हेतु नियत है और अभियुक्त की तरफ से सफाई साक्ष्य में डी०डब्ल्यू० 1 व 2 को परीक्षित कराया जा चुका है।

5- अभियुक्त की तरफ से जरिये प्रार्थना पत्र 117 ख/1 डाक्टर अजय अग्रवाल एम०डी० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष फोरेंसिक मेडीसिन एस०एन० मेडिकल कॉलेज आगरा को सफाई साक्ष्य में पेश करने हेतु कथन किया है और प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के साथ 117 ख/2 डाक्टर अजय अग्रवाल की दी गयी ओपीनियन (राय) की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जो ओपीनियन (राय) श्री राजीव गुप्ता एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद को दी गयी है। प्रश्नगत ओपीनियन (राय) की बाबत प्रपत्रों से स्पष्ट है कि यह अभियोजन प्रपत्र नहीं है। प्रश्नगत वाद अभियुक्त के विरूद्व अंतर्गत धारा 498A,304B भा०दं०सं व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत विचारित है, जिसमें अभियुक्त का विचारण हो रहा है। ऐसी स्थिति में चूँकि पत्रावली में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाबत डाक्टर का बयान अंकित हो चुका है और अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा डाक्टर से जिरह भी की गयी है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बिसरा रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न है, जिसको साबित कराने हेतु अभियोजन की ओर से अलग से प्रार्थना पत्र 121 ख प्रस्तुत किया गया है। 121 ख के सन्दर्भ में डाक्टर परीक्षित होते हैं तो उनसे भी बचाव पक्ष को जिरह करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। प्रस्तुत वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में डाक्टर अजय अग्रवाल को उनके द्वारा दी गयी ओपीनियन (राय), जो कि माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता को दी गयी है, को साबित करने हेतु इस विचारण में तलब किया जाना विधि संगत उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 117 ख/1 खारिज होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र 117 ख/1 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियत दिनांक 25-05-2024 को पेश हो।

(हीरा लाल III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-2, गाजियाबाद।
18-05-2024